संख्या-13/2020/475/जेड/6-सा-3-2020-14केपी/83

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 24 नवम्बर, 2020

विषयः- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-214क0स0/02/2017, दिनांक 08 फरवरी, 2017 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 की स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधन के साथ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के संकल्प संख्या-64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।

2- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों को संलग्न-1 की तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा सम्बन्धित कार्मिक के विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण एवं वेतनवृद्धिया वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने हेतु विकल्प का प्रारूप एवं वचनबंध का प्रारूप संलग्नक-2 व 3 पर संलग्न है।

4- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण एवं मॅहगाई भत्ते का नगद भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक देय अवशेष का भुगतान राज्य कर्मचारियों की भांति किया जायेगा।

5- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ में कोई कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तैनात है तो उसे पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं अन्य भत्ते अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के सन्दर्भ में अनुमन्य होंगे।

6- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों को यदि राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति से ही किया जायेगा।

7- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के लिये वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस प्रतिबन्ध के अधीन बनाये रखा जायेगा कि इसी अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवाओं के परीक्षण का वही मानक होगा, जैसा कि राज्य कर्मचारियों के लिए अपनाया जाय।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के कार्यकुशल एवं अच्छे कर्मचारियों के मनोबल को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने दायित्वों के निवर्हन में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रूचि नहीं लेते हैं, उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे कर्मिकों, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारण मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धिया स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की भांति व्यवस्था की जाय।

9- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के ऐसे पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य हैं, की पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रक्रिया अपनायी जाय, जो राजकीय पेंशनरों के सम्बन्ध में अपनायी गई है। साथ ही अन्य ऐसे सेवानैवृतिक लाभों, जो पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य हैं, का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

10- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के ऐसे कार्मिक, जिन्हें राजकीय कर्मियों की भांति पेंशन सुविधा देय नहीं हैं, उनके मामले में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन नीति के सादृश्यता पर अथवा अन्यथा कोई व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11- इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1453, दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-13(1)/2020/475(1)जेड/6-सा-3-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महालेखाकार (प्रथम/द्धितीय) उत्तर प्रदेश प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
4-निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5-वित्त (वित्त-आयोग) अनुभाग-2 (दो प्रतियों में)।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12
8-राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।